

|   |   |
|---|---|
| 28 अक्टूबर, 2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सीपज़ एसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की 192वीं बैठक का कार्यवृत्त | MINUTES OF 192 <sup>nd</sup> MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 28 <sup>th</sup> OCTOBER, 2024. |
|---|---|

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| एसईजेड का नाम<br>Name of the SEZ | सीपज़-सेज़<br>SEEPZ-SEZ     |
| बैठक संख्या<br>Meeting No        | १९२वीं<br>192 <sup>nd</sup> |
| दिनांक<br>Date                   | २८.१०.२०२४<br>28.10.2024    |

| क्रमांक<br>Sr.<br>No. | सदस्यों का नाम<br>Name of Members                  | पद का नाम<br>Designation  | संस्था<br>Organization  |
|-----------------------|--|---|---|
| 1                     | श्री. सी. पी. एस. चौहान<br>Shri. C. P. S. Chauhan  | संयुक्त. विकास आयुक्त,<br>Jt. Development<br>Commissioner,                | सीपज़-सेज़<br>SEEPZ-SEZ.  |
| 2                     | श्री. लिडर पणिक्कर<br>Shri. LeiderPanicker         | संयुक्त आयुक्त आयकर<br>Joint Commissioner<br>Income Tax                   | आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामित<br>Nominee of Commissioner Income<br>Tax office, Mumbai.   |
| 3                     | श्री. हिमांशु धर पांडे<br>Shri. HimanshuDharPandey | उप निदेशक डीजीएफटी<br>Deputy Director DGFT                                | अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई का नामित<br>Nominee of the Additional DGFT,<br>Mumbai.   |
| 4                     | श्रीविलास कुमुटकर<br>Shri.Vilaskumatkar, IO        | आईओ, औद्योगिक अधिकारी<br>, Industrial Officer                             | उद्योग विकास आयुक्त, जीओएम, मुंबई द्वारा<br>नामित<br>Nominee of Development<br>Commissioner of Industries, GoM,<br>Mumbai.                      |
| 5                     | श्रीमती मीरा रामकृष्णन<br>Mrs. MeeraRamakrishnan   | सहायक आयुक्त सीमा शुल्क<br>Assistant Commissioner of<br>Customs           | सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल एयर कार्गो सहार,<br>मुंबई के नामित<br>Nominee of Commissioner of<br>Customs(General), Air Cargo<br>Complex,Sahar Mumbai |
| 6                     | श्री. प्रसाद वरवंटकर<br>Shri. Prasad Varwantkar    | उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़<br>Deputy Development Commissioner, SEEPZ-SEZ |   |
| 7                     | श्रीमती कांची गुप्ता<br>Mrs. Kanchi Gupta          | विनिर्दिष्ट अधिकारी सीपज़-सेज़<br>Specified Officer, SEEPZ-SEZ            |   |

उपस्थित सदस्य:

**Members Present:**

असूची मद संख्या 01:25.09.2024 को आयोजित 191वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि  
नांक 25.09.2024 को आयोजित 191वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

**Agenda Item No. 01:** Confirmation of Minutes of the 191<sup>th</sup> meeting held on 25.09.2024.  
The Minutes of the 191<sup>th</sup> meeting held on 25.09.2024.were confirmed with consensus.

असूची मद संख्या 02: कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के लिए मेसर्स डायट्रेंड्स ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।

**Agenda Item No. 02:**Application received from M/s. DiatrendsJewellery Private Limited for change in shareholding pattern of the company.

मेसर्स डायट्रेंड्स ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने नीचे लिखित विवरण के अनुसार कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था:

M/s. DiatrendsJewellery Private Limited had submitted the application for change in shareholding pattern of the company as per the details mentioned below :

The details of shareholding Pre & Post are as under :

**Pre Shareholding Pattern:-**

| Sr. No. | Name of the Shareholder | No. of Shares    | % of Shareholding |
|---------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1       | Shri. Sunit S Kothari   | 5,00,000         | 50%               |
| 2       | Shri. Kunal Mehta       | 2,50,000         | 25%               |
| 3       | Smt. AnujaDhaval Mehta  | 2,50,000         | 25%               |
|         | <b>Total</b>            | <b>10,00,000</b> | <b>100%</b>       |

**Post Shareholding Pattern**

| Sr. No. | Name of the Shareholder         | No. of Shares    | % of Shareholding | Relation with the Previous Shareholder |
|---------|---------------------------------|------------------|-------------------|--|
| 1       | Shri. Sunit S Kothari           | 2,60,000         | 26%               | Self                                   |
| 2       | Mr. Sanjay Anandlal Kothari     | 80,000           | 8%                | Father of Sunit Kothari                |
| 3       | Mrs. Maya Sanjay Kothari        | 80,000           | 8%                | Mother of Sunit Kothari                |
| 4       | Mrs. ShwetaSunit Kothari        | 80,000           | 8%                | Wife of Sunit Kothari                  |
| 5       | Shri. Kunal Mehta               | 90,000           | 9%                | Self                                   |
| 6       | Mrs. PritiKunal Mehta           | 80,000           | 8%                | Wife of Shri. Kunal Mehta              |
| 7       | Mr. YatishchabdraBhogilal Mehta | 40,000           | 4%                | Father of Shri. Kunal Mehta            |
| 8       | Mrs. Indira Yatish Mehta        | 40,000           | 4%                | Mother of Shri. Kunal Mehta            |
| 9       | Smt. AnujaDhaval Mehta          | 90,000           | 9%                | Self                                   |
| 10      | Mr. RishavDhaval Mehta          | 80,000           | 8%                | Son of Smt. Anuja Mehta                |
| 11      | Mr. YatishchandraBhogilal Mehta | 40,000           | 4%                | Father in law of Shri. Anuja Mehta     |
| 12      | Mrs. Indira Yatish Mehta        | 40,000           | 4%                | Mother in law of Anuja Mehta           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>10,00,000</b> | <b>100%</b>       |  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>वर्णन:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मओसीएंडआई निर्देश संख्या 109 दिनांक 8.10.2021 के अनुसार कंपनी के शेयरधारिता दर्त में बदलाव के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उक्त निर्देश की शर्तों के अनुपालन के अधीन</p> | <p><b>Decision :</b>After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for change in shareholding pattern of the company in terms of MOC&amp;I Instruction no. 109 dated 18.10.2021 and subject to compliance of the conditions of the said Instruction.</p> |
| <p><b>वर्षसूची मद संख्या 02:</b> मेसर्स विशाल डायमंड्स थर्ड पार्टी रिपेयर के लिए आवेदन प्राप्त आ</p>   | <p><b>Agenda Item No. 03:</b>Application received from M/s. Vishal Diamonds for Third Party Repair.</p>   |

| Sr. No. | Description of Items to be repaired              | Approximate PCS to be Repaired | Approx. Labour Value in Lakhs |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | Diamonds Studded Gold/Silver /Platinum Jewellery | 5000 Pieces Apprx.             | Rs. 139.00                    |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>वर्णन:</b> विचार-विमर्श के बाद समिति ने दिनांक 15.03.2010 के निर्देश संख्या 51 के अनुसार उक्त निर्देश में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की शर्त पर तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दी</p> | <p><b>Decision:</b>After deliberation, the Committee approved the proposal of third party repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03.2010 and subject to compliance of condition mentioned in the said Instruction.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>वर्षसूची मद संख्या 04:</b>संलग्न एफएसआर [09 संख्या] अनुसार यूनिट धारकों के प्रदर्शन की निगरानी करना</p> | <p><b>Agenda Item No. 04:</b> Monitoring performance of the Unit holders as per the FSRs [09 nos] attached.</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>फएसआर 31.</b> मेसर्स सिमिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी</p> <p>काई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डाटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया</p> | <p><b>FSR 31.</b> Monitoring Performance of <b>M/s. Simic Electronics Pvt. Ltd.</b> for the period of 1 year i.e. 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>वर्णन:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि काई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार चर्ची आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट खिल करने में 04 दिनों के विलंब पर सहमति व्यक्त की था उसे माफ कर दिया</p> | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee <b>noted</b> the performance of the unit for the period 2023-24, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee agreed and condoned the delay of 04 days in filing of APR for F.Y. 2023-24.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>फएसआर 32.</b> मेसर्स ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी</p> <p>काई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डाटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया</p> | <p><b>FSR 32.</b> Monitoring Performance of <b>M/s. Trigyn Technologies Ltd.</b> for the period of 1 year i.e. 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p> |
|---|---|

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि

- i. 3 महीने के भीतर लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति का भुगतान करें।
- ii. क्रेच सुविधा का बकाया राशि रु5000. का भुगतान करें।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

The Committee also directed to-

- i. Clear the pending foreign exchange realization within 3 months time.
- ii. Clear the outstanding dues of Creche facility Rs.5000/-

**फएसआर 33.** मेसर्स विशाल डायमंड के 2 वर्षों की अवधि अर्थात् 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को सीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।

**FSR 33.** Monitoring Performance of M/s. Vishal Diamonds for the period of 2 years i.e. 2022-23 and 2023-24.

The unit has submitted the APR for the period 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने इकाई को 70,071.65 रुपए का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया तथा अनुभाग को निर्देश दिया कि वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार अपेक्षित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने में विफल रहने पर इकाई को एससीएन जारी किया जाए।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 and 2023-24, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

The Committee directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.70,071.65/- and further directed the section to issue SCN to the unit for failing to achieve required value addition as shown in APR.

**फएसआर 34.** मेसर्स यूनिटी ज्वेल्स के 1 वर्ष की अवधि अर्थात् 2022-23 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।

**FSR 34.** Monitoring Performance of M/s. Unity Jewels for the period of 1 year i.e. 2022-23.

The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इकाई को एससीएन जारी करने के कारणों का पता लगाएं और संबंधित अवधि के लिए एससीएन जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें और लंबित सीआरए आपत्ति के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

The Committee also directed to find out the reasons for non-issuance of SCN to the unit for F.Y. 2020-21 and initiate action for issuance of SCN for the respective period and for pending CRA objection.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>फएसआर 35. मेसर्स यूनिटी ज्वेल्स के 1 वर्ष की अवधि अर्थात् 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी</b></p> <p>कार्ड ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>  | <p><b>FSR 35. Monitoring Performance of M/s. Unity Jewels for the period of 1 year i.e. 2023-24.</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>  |
| <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक नएफई हासिल किया था।</p>   | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>  |
| <p><b>फएसआर 36. मेसर्स जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी</b></p> <p>कार्ड ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>   | <p><b>FSR 36. Monitoring Performance of M/s. Genesys International Corporation Limited for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant.</p> <p>The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>   |
| <p><b>निर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया, क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक नएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>इकाई को 3,67,392.49 रुपये का बकाया चुकाना होगा।</li> <li>इकाई को भारतीय रुपये के मुकाबले डीटीए में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण उपलब्ध कराना होगा।</li> <li>इकाई को भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना।</li> </ol> | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>the unit to clear the outstanding dues of Rs.3,67,392.49/-</li> <li>the unit to provide details of services provided in DTA against INR.</li> <li>the Section to issue show cause notice to the unit for providing services in DTA against payment in INR.</li> </ol> |
| <p><b>फएसआर 37. मेसर्स ल्यूमिना डाटामेटिक्स लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी</b></p> <p>कार्ड ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>   | <p><b>FSR 37. Monitoring Performance of M/s. Lumina Datamatics Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>भर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने <b>2020-21, 2021-22, 2022-23</b> और <b>2023-24</b> की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम <b>2006</b> के नियम <b>54</b> के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि 2020-21 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के त्रेण कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए त्वरित कार्य आरंभ करें।</p>  | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee <b>noted</b> the performance of the unit for the period <b>2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24</b> as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2020-21.</p>  |
| <p><b>फएसआर 38.</b> मेसर्स इन्फोगेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के <b>2</b> वर्षों की अवधि अर्थात् <b>2020-21</b> और <b>2021-22</b> के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने <b>2020-21</b> और <b>2021-22</b> की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से <b>2020-21</b> और <b>2021-22</b> की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>                            | <p><b>FSR 38.</b> Monitoring Performance of <b>M/s. Infogain India Private Limited</b> for the period of <b>2 years</b> i.e. <b>2020-21 and 2021-22.</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period <b>2020-21 and 2021-22</b> duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period <b>2020-21 and 2021-22</b> was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>                            |
| <p><b>भर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने <b>2020-21</b> और <b>2021-22</b> की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम <b>2006</b> के नियम <b>54</b> के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>  | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee <b>noted</b> the performance of the unit for the period <b>2020-21 and 2021-22</b> as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>   |
| <p><b>फएसआर 39.</b> मेसर्स इन्फोगेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के <b>3</b> वर्षों की अवधि अर्थात् <b>2022-23, 2023-24</b> और <b>2024-25</b> के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने <b>2022-23, 2023-24</b> और <b>2024-25</b> की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से <b>2022-23, 2023-24</b> और <b>2024-25</b> की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p> | <p><b>FSR 39.</b> Monitoring Performance of <b>M/s. Infogain India Private Limited</b> for the period of <b>3 years</b> i.e. <b>2022-23, 2023-24 and 2024-25.</b></p> <p>The unit has submitted the APR for the period <b>2022-23, 2023-24 and 2024-25</b> duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period <b>2022-23, 2023-24 and 2024-25</b> was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p> |
| <p><b>भर्णय:</b> विचार-विमर्श के बाद, समिति ने <b>2022-23, 2023-24</b> और <b>2024-25</b> की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम <b>2006</b> के नियम <b>54</b> के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>   | <p><b>Decision:</b> After deliberation, the Committee <b>noted</b> the performance of the unit for the period <b>2022-23, 2023-24 and 2024-25</b> as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>  |
| <p><b>कार्यसूची मद संख्या 06:</b> जी-13, जी एंड जे कॉम्प्लेक्स-II में इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स टरज्वेल डिज़ाइन्स से आवेदन प्राप्त हुआ।</p>   | <p><b>Agenda Item No. 06:</b> Application received from M/s. Interjewel Designs for setting up of Unit in G-13, G &amp; J Complex-II.</p>   |

मेसर्स इंटरज्वेल डिजाइन्स ने जी-13, जी एंड जे नॉमप्लेक्स-II में एक अलग एलओए के रूप में प्रस्तावित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जो उन्हें पहले से ही लओए संख्या सीपज़-एसईजेड/आईए-आई/एपीएल/जीजे-03/2009-10/9368, दिनांक 13.09.2009 के तहत आवंटित किया गया है।

M/s. Interjewel Designs has submitted the application for setting up of new unit for manufacturing as a separate LOA at G-13, G & J Complex-II, which is already allotted to them under LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/APL/GJ-03/2009-10/9368, Dated 03.09.2009.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद समिति ने एसईपीजेड-एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स इंटरज्वेल डिजाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें निर्यात का एफओबी मूल्य **₹8370.40** रुपये, एफई खर्च **₹37136.50** रुपये और एनएफई **₹11233.90** रुपये पांच साल के अवधि में प्रस्तावित है। इससे **150 (118)** (पुरुष **32** महिलाएं) लोगों को रोजगार मिलेगा। यह रोजगार इकाई संख्या जी-13, जी एंड जे नॉमप्लेक्स-II में उपलब्ध होगा। इसमें गोल्ड/प्लैटिनम/पैलेडियम/चांदी/स्टेनलेस/मिश्र धातु आधारित धातु के आभूषण सादे और/या हीरे, नेमती, अर्ध-कीमती पत्थरों, रंगीन पत्थरों, मोतियों, क्यूबिक जिरकोनिया, मोइसानाइट, प्रयोगशाला में उगाए गए/सीवीडी हीरे, गोल्ड/प्लैटिनम/पैलेडियम/चांदी में माउंटिंग, चांदी के मॉडल/मास्टर/प्रो-टाइप, सादे में जड़े जाएंगे। ढली हुई, अर्द्ध-तैयार, चांदी के मॉडल, गोल्ड/चांदी/प्लैटिनम/पैलेडियम में माउंटिंग [नौकरी का काम], रबर के सांचे, कैम द्वारा रेजिन/वैक्स मॉउटपुट, धातु के सांचे और डाइ, नवीन उत्पाद: चांदी, सोना, मिश्र धातु धातु के बैंक लेख जैसे कि चांदी के छल्ले, पायल और अन्य घरेलू सामान या उपहार लेख जिनमें **50%** या अधिक चांदी की मात्रा हो, रंगीन पत्थरों या कम लागत वाले क्रिस्टल पत्थरों, सीमित पत्थरों के साथ या उसके बिना।

**Decision:** After deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. Interjewel Designs for setting up of a new unit in SEEPZ-SEZ envisaging FOB value of exports of Rs. 48370.40, FE outgo of Rs. 37136.50 and NFE of Rs. 11233.90 over a period of 5 years with employment generation to 150 (118 Men 32 Women) at unit No. G-13, G & J Complex-II for Gold/Platinum/Palladium/Silver/Stainless/Alloy based metal jewellery plain and/or studded with diamonds, precious, semi-precious stones, colour stones, pearls, Cubic Zirconia, Moissanite, Lab grown/CVD diamonds, Mounting in gold/Platinum/Palladium/Silver, Silver models/Master/Prototype, Plain. Casted, semi-finished, silver models, mountings in gold/silver/platinum/palladium [Job work], Rubber moulds, Resin/Wax output by Cam, Metal Moulds & Dies, Innovative products : Silver, gold, alloy metal bank articles like key chains, anklets & other house-ware or gift articles having 50% or more silver content with OR without studding of colour stones or low-cost crystal stones, limitation stones.

समिति ने मौजूदा इकाई के एपीआर की जांच करने का भी निर्देश दिया, ताकि एलओए के तहत धारित दो अलग-अलग परिसरों के संबंध में मौजूदा एलओए के तहत दायित्वों को सुनिश्चित किया जा सके।

The Committee also directed to scrutinize the APRs of the existing Unit to ensure the obligations under the existing LOA in respect of two separate premises held under the said LOA.

ठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।  
The Meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

मानेश्वर बी पाटील, आईएसएस  
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़

1

Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra Patil  
Date: 2024.11.06 14:54:19 IST